



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0  
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.  
15/2025

तारीख दायर  
15/01/2025

तारीख फैसला  
03.11.2025

1. गोपाली देवी पत्नि जयराम जाति मीना निवासी ग्राम नांगल शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करोली राजस्थान।  
बनाम  
वादी
1. कल्याण पुत्र रणजीता जाति मीना निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2. राधेश्याम पुत्र दुलाराम जाति मीणा निवासी ग्राम खो घाटी पोस्ट बैनाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम दोलतपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक, जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

उपस्थित अभिभावक

श्री किशनलाल :- वकील वादी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

वादी की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 58 के खसरा नम्बर 31 रकबा 0.2500 है0 ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण में त्रिधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 02.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुर्रजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जावे है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी एवं  
उप खण्ड मजिस्ट्रेट

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
58	कल्याण पुत्र रणजीत हि० 1/4 जाति मीना सा० देह, गोपाली देवी पत्नी जयराम हि० 107/200 जाति मीना सा० नांगल शेरपुरा, तहसील टोडाभीम जिला करोली, राधेश्याम पुत्र दुलाराम हि० 9/100 जाति मीना सा० खो घाटी पो० बैनाडा, तहसील बस्सी, रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण हि० 1/8 जाति मीना सा० दोलतपुरा तह० जमवारामगढ खातेदार।	31	0.2500	चाही 1	7.50
	योग	किता 1	0.2500	-	7.50

-: प्रस्तावित :-

क्र० सं०	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	गोपाली देवी पत्नी जयराम जाति मीना सा० नांगल शेरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करोली खातेदार।	31/2	0.1338	चाही	4.0140
	योग	किता 1	0.1338	-	4.0140
2	कल्याण पुत्र रणजीत जाति मीना सा० देह खातेदार	31/4	0.0625	चाही 1	1.8750
	योग	किता 1	0.0625	-	1.8750
3	राधेश्याम पुत्र दुलाराम जाति मीना सा० खो घाटी पोस्ट बैनाडा तहसील बस्सी खातेदार।	31/1	0.0225	चाही	0.6750
	योग	किता 1	0.0225	-	0.6750
4	रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण जाति मीना सा० दोलतपुरा तह० जमवारामगढ खातेदार।	31/3	0.0312	चाही 1	0.9360
	योग	किता 1	0.0312	-	0.9360

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 03/11/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 जमवारामगढ  
 जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

गोपाली

बनाम

कल्याण वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 15/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री किशनलाल अधिवकता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हरिकिशनपुरा, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार, विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

क्र. सं०	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
8	कल्याण पुत्र रणजीत हि० 1/4 जाति मीना सा०देह, गोपाली देवी पत्नी जयराम हि० 107/200 जाति मीना सा० नांगल शेरपुरा, तहसील टोडाभीम जिला करोली, राधेश्याम पुत्र दुलाराम हि० 9/100 जाति मीना सा० खो घाटी पो० बैनाडा, तहसील बस्सी, रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण हि० 1/8 जाति मीना सा० दोलतपुरा तह० जमवारामगढ खातेदार।	31	0.2500	चाही 1	7.50
	योग	किता 1	0.2500	-	7.50

-: प्रस्तावित :-

क्र. सं०	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	गोपाली देवी पत्नी जयराम जाति मीना सा० नांगल शेरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करोली खातेदार।	31/2	0.1338	चही	4.0140
	योग	किता 1	0.1338	-	4.0140
2	कल्याण पुत्र रणजीत जाति मीना सा०देह खातेदार	31/4	0.0625	चाही 1	1.8750
	योग	किता 1	0.0625	-	1.8750
3	राधेश्याम पुत्र दुलाराम जाति मीना सा० खो घाटी पो० बैनाडा तहसील बस्सी खातेदार।	31/1	0.0225	चाही	0.6750
	योग	किता 1	0.0225	-	0.6750
4	रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण जाति मीना सा० दोलतपुरा तह० जमवारामगढ खातेदार।	31/3	0.0312	चाही 1	0.9360
	योग	किता 1	0.0312	-	0.9360


उप खण्ड अधिकारी ए  
उप खण्ड मजिस्ट्रेट  
जमवारामगढ

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 03/11/2025 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दै	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
जमवारामगढ़